चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 12.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 12.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में आगामी होली त्यौहार व रमजान को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष प्रवीण सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बृजबिहारी व मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 12.03.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2014 धारा 308,304,323,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.उमाशंकर 2.कहरू पुत्रगण घसीटे निवासीगण भाऊपुरवा मजरा हरदौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000/-10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 08.06.2014 को वादी सुनील सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी भाऊपुरवा मजरा हरदौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि अभियुक्तगणों द्वारा एक राय होकर लाठी,डण्डा,फावड़ा,कुल्हाड़ी से मारपीट करना जिससे पंकज सिंह,नथन सिंह एवं वादी के पिता चन्द्रपाल सिंह को गम्भीर चोट आना तथा दौराने इलाज वादी के पिता चन्द्रपाल की मृत्यु हो जाना । इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 157/2014 धारा 323,308,304,506 भादवि0 बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था । मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री केशव प्रसाद दुबे द्वारा की गयी थी । उ0नि0 उपरोक्त द्वारा आरोपियों के विरुद्ध दिनाँक 06.07.2014 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष प्रवीण सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बृजबिहारी व मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 12.03.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 157ए/2014 धारा 147,148,149,323,325,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.नथन सिंह पुत्र भगवानदीन सिंह 2. संतोष सिंह 3.पवन सिंह 4.अरुण सिंह पुत्रगण नथन सिंह 5.बड़कौना उर्फ अनिल सिंह 6.ननकौना उर्फ महेन्द्र 7.चनकौना उर्फ सुनील सिंह 8. पंकज सिंह पुत्रगण स्व0 चन्द्रपाल सिंह 9.बलराज सिंह पुत्र पुत्ती सिंह निवासीगण भाऊपुरवा मजरा हरदौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 6000/-6000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 20.06.2014 को वादी शिवशंकर उर्फ कहरु द्वारा सूचना दी गयी थी कि अभियुक्तगणों द्वारा एक राय होकर मारपीट करना जिससे वादी शिवशंकर उर्फ कहरु उपरोक्त घायल हो जाना तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाना । इस सूचना पर राजापुर में मु0अ0सं0 157ए/2014 धारा 147,148,149,323,325,504,506 भादवि0 बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था । मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री मोहन लाल द्वारा की गयी थी । उ0नि0 उपरोक्त द्वारा आरोपियों के विरुद्ध दिनाँक 22.08.2014 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा आज दिनाँक 12.03.2025 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 09/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त ननकौना उर्फ पगरैवा पुत्र स्व0 चुन्नि निवासी धुरेहटा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा आज दिनाँक 12.03.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 1073/2017 धारा 279,337,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त मनोज तिवारी पुत्र रमाकान्त निवासी ग्राम खोह थाना कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7) आज दिनांक 12.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में होली त्यौहार व जुम्मे की नमाज को सकुशल संपन्न कराए जाने एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत काली देवी चौराहा , उतारखाना, भरतपुरी, लक्ष्मणपुरी, तरौंहा, कजियाना मोहल्ला, धनुष तिराहा,बस स्टैंड एवं मिश्रित घनी आबादी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के आस पास भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गयी।

(8).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी गनीवा श्री यदुवीर सिंह व मुख्य आरक्षी वीरेन्द्र कुमार द्वारा अभियुक्त भगवानदीन रैदास पुत्र स्व0 किशोरा निवासी ग्राम चनहट थाना राजापुर जिला चित्रकूट को 28 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(9). आज दिनाँक 12.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में आगामी होली एवं रमजान पर्व को सकुशल सम्पन्न कराए जाने के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के नेतृत्व में कोतवाली कर्वी पुलिस बल ने कर्वी के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल मार्च किया गया पैदल मार्च के दौरान महोदय द्वारा कर्वी शहर के डाक घर के पास होलिका दहन स्थल का निरीक्षण किया गया साथ ही आगामी जुमे की नवाज को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु कोतवाली क्षेत्र की मस्जिदों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों,व्यापारीबंधुओ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल मार्च के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(10). आज दिनाँक 12.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में आगामी होली एवं रमजान पर्व को सकुशल सम्पन्न कराए जाने के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जय करन सिंह की उपस्थिति में थाना राजापुर पुलिस बल ने कस्बा राजापुर के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल मार्च किया गया महोदय द्वारा आगामी जुमे की नवाज को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु थाना क्षेत्र की मस्जिदों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल मार्च के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

इस दौरान थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह व अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(11). आज दिनाँक 12.03.2025 को आगामी होलिका दहन/होली एवं रमजान पर्व को सकुशल सम्पन्न कराए जाने के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में मानिकपुर पुलिस बल द्वारा कस्बा मानिकपुर के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल मार्च किया गया।पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सौहार्द्रपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाने हेतु अपील की गई साथ ही सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल मार्च के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर अतिक्रमण,शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

पैदल मार्च के दौरान प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्ग विजय सिंह,पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह व अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।